[2018] 10 एससीआर 26

सुमन देवी

बनाम

मनीषा देवी और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 8337) बी 21 अगस्त, 2018

[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति और डॉ डी वाई चंद्रचूड़,]

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 - धारा 176 - चुनाव याचिका - परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता, जब अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के बाद अपील दायर की जाती है- अभिनिर्धारित किया गया: चुनाव याचिका परिणाम की घोषणा की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए- उक्त अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है- परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 का प्रावधान स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है- चुनाव याचिका जो निर्धारित अवधि के बाद दायर की जाती है जिसे परिसीमा अधिनियम द्वारा अपवर्जित है और खारिज किये जाने योग्य है- तथ्यों पर, एक नया चुनाव दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करना याचिका सीमा की सीमा को समाप्त नहीं कर सकती है- पहले प्रतिवादी द्वारा दायर नई चुनाव याचिका 30 दिनों की वैधानिक अवधि से परे थी, इस प्रकार, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 को खारिज कर दिया जाता है। तथ्यों के आधार पर, प्रथम प्रतिउत्तरदाता को अपीलकर्ता उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई थी, जिसमें एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता थी। इसके बाद, प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने दूसरी चुनाव याचिका दायर की। अपीलकर्ता ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि यह परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है। प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने तब परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के साथ 5 के तहत एक आवेदन दायर किया कि यदि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा समाप्त हो गई है, तो पहले याचिका दायर करने और इसे वापस लेने के बीच की अवधि को अपवर्जित रखा जा सकता है। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को स्वीकार किया। हालांकि, जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील। अपील को स्वीकार करते हुए, अदालत ने कहा: हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति के लिए एक पूर्ण संहिता है। क़ानून ने अनिवार्य किया है कि परिणामों की घोषणा की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर एक चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए। यह अवधि एच 26 सुमन देवी बनाम मनीषा देवी और अन्य।

बढ़ाया नहीं जा सकता. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 के प्रावधान को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाएगा। विधायिका ने एक विशिष्ट प्रावधान किया है, कोई भी चुनाव याचिका जो क़ानून का पालन करने में विफल रहती है, उसे खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों और इस विषय पर अपने स्वयं के दृष्टांतों दोनों को नोटिस करने में विफल रहा। प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने पहली बार में एक चुनाव याचिका दायर की, जिस पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत विचारणीयता पर आपत्ति थी। आदेश 7 नियम 11 के तहत आपत्ति का सामना करते हुए, प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने चुनाव याचिका वापस लेकर उस पर

निर्णय टाल दिया। तथ्यों के आधार पर, नई चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देने से सीमा की सीमा समाप्त नहीं हो सकती है। प्रथम प्रतिउत्तरदाता द्वारा दायर नई चुनाव याचिका 30 दिनों की वैधानिक अवधि से परे थी और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है। [पैरा 9, 10] [33-एफ-एच; 34-ए, बी]

जोगिंदर सिंह बनाम बलदेव सिंह 2010 (1) पीएलआर 769;

रशपाल सिंह @ रछपाल सिंह बनाम जसवीर सिंह

2009 (3) आरसीआर (सिविल) 408; चेत राम बनाम पंजाब राज्य

2010 (4) पीएलआर 718; दर्शन सिंह बनाम करमजीत सिंह

2012 (2) पीएलआर 831; प्रकाशो बनाम भोला देवी 2012 (3)

पीएलआर 541; दीपा मंगला बनाम नानक चंद

सीआर संख्या 523/2013 दिनांक 06.02.2015 को निर्णय लिया गया; हुकुम देव

नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा (1974) 2 एससीसी

133: [1974] 3 एससीआर 31; चरण लाल साहू बनाम नंदकिशोर

भट्ट (1973) 2 एससीसी 530: [1974] 1 एससीआर 294;

लछमन दास अरोड़ा बनाम गणेशी लाल (1999) 8 एससीसी

532 : [1999] 2 सपल एससीआर 174 - संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस

2009 (3) आरसीआर (सिविल) 408 पैरा 3 को संदर्भित

2010 (4) पीएलआर 718 पैरा 3 को संदर्भित

2012 (2) पीएलआर 831 पैरा 3 को संदर्भित

2012 (3) पीएलआर पीएलआर पैरा 3 को संदर्भित

[1974] 3 एससीआर 31 पैरा 6 को संदर्भित

[1974] 1 एससीआर 294 पैरा 7 को संदर्भित

[1999] 2 Suppl. एससीआर 194 पैरा 8 को संदर्भित सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स [2018] 10 एससीआर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सन् 2018 की सिविल अपील सं॰ 8337

सिविल अपील संख्या 8337।2017 के सिविल रिवीजन नंबर 1120 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.08.2017 के फैसले और आदेश से।

सुश्री कवीता वाडिया, शशांक त्रिपाठी, शीश पाल बाद में, जौहरी मल, सोनित सिंहमार, देवेश कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति द्वारा 1. अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने महेंद्रगढ़ की जिला परिषद के वार्ड नंबर 18 से वार्ड पार्षद के पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव के परिणाम 28 जनवरी 2016 को घोषित किए गए थे। अपीलकर्ता को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया गया था। 10 फरवरी 2016 को, प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती देते हुए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 176 के तहत सिविल वाद 9/2016 (सीएस 1086/2016) नामक एक चुनाव याचिका दायर की। चुनाव याचिका की सेवा पर, अपीलकर्ता ने सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस आधार पर याचिका को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि प्रथम प्रतिउत्तरदाता धारा 176 के अनुसार इसे व्यक्तिगत रूप से पेश करने में विफल रहा था। आवेदन पर नोटिस जारी किया गया था। प्रतिउत्तरदाता ने अपना जवाब दाखिल किया। 1 मार्च 2016 को, प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने चुनाव याचिका वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया। सिविल जज, जूनियर डिवीजन द्वारा उसी दिन आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और प्रथम प्रतिउत्तरदाता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ चुनाव याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद 2 मार्च 2016 को प्रथम प्रतिउत्तरदाता ने दूसरी चुनाव याचिका दायर की, सिविल वाद 361/2016 (सी.एस 1106/2016)। अपीलकर्ता ने आदेश 7 नियम 11 के तहत इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया कि यह सीमा द्वारा निषिद्ध है। इस पर पहले प्रतिवादी द्वारा कथित तौर पर परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के साथ धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि यदि चुनाव याचिका दायर करने की सीमा समाप्त हो गई है, तो पहले याचिका दायर करने और इसे वापस लेने के बीच की अवधि को बाहर रखा जा सकता है क्योंकि प्रथम प्रतिउत्तरदाता अपने उपायों का पालन कर रहा था। अपीलकर्ता ने आवेदन का विरोध किया।**सुमन देवी बनाम मनीषा देवी और अन्य।**

[डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

2. 19 जुलाई 2016 के एक फैसले द्वारा विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 के तहत

आवेदन को इस आधार पर अनुमति दी कि नई चुनाव याचिका एक चुनाव याचिका की संस्था के लिए निर्धारित 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की गई थी। पहले प्रतिवादी ने एक अपील को प्राथमिकता दी जिसे 18 जनवरी 2017 को नारनौल के जिला न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। अपीलकर्ता ने जिला न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। सिविल पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

"परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन बाद में दायर किया गया था

जब याचिकाकर्ता ने यहां आपत्तियां उठाई थीं।

परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में पृथक रूप से आवेदन दायर करने का प्रावधान नहीं है।

किसी भी मामले में, अब परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है,

इसलिए, अनियमितता, यदि कोई हो, ठीक हो जाती है।

3. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति और निर्णय के लिए एक पूर्ण संहिता है। वकील ने कहा कि चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर धारा 176 के तहत चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए। एक चुनाव याचिका जो धारा 176 का अनुपालन नहीं करती है, उसे सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कई फैसलों में इस दृष्टिकोण का लगातार पालन किया गया है, जिसका संदर्भ दिया गया था। इनमें जोगिंदर सिंह बनाम बलदेव सिंह, रशपाल सिंह @ रछपाल सिंह बनाम जसवीर सिंह, चेत राम बनाम पंजाब राज्य, दर्शन सिंह बनाम करमजीत सिंह, प्रकाशो वी भोला देवी और दीपा मंगला बनाम नानक चंद शामिल हैं।

4. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मैट्रिक का झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ एक सुनवाई योग्य मामला उत्पन्न होता है और इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

2010 (1) पीएलआर 769 पैरा 6 और 7

2009 (3) आरसीआर (सिविल) 408

32010 (4) पीएलआर 718

42012 (2) पीएलआर 831

52012 (3) पीएलआर 541

सीआर संख्या 523/2013 पर 06.02.2015 को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

5. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

176. न्यायाधीश और प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण: (1) यदि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी सदस्य या ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के किसी चुनाव की वैधता को चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न में लाया जाता है। ऐसा व्यक्ति चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय सिविल कोर्ट में चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसके भीतर चुनाव हुआ है या होना चाहिए था, उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र है। इस तरह के प्रश्न के निर्धारण के लिए। (2) एक याचिकाकर्ता निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अपनी चुनाव याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं होगा: - (ए) जहां याचिकाकर्ता सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवारों के चुनाव की वैधता को चुनौती देने के अलावा एक और राहत का दावा करता है कि वह खुद या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित किया गया है, याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और जहां ऐसी कोई और राहत का दावा नहीं किया गया है, सभी लौटे उम्मीदवार; (ख) कोई अन्य उम्मीदवार जिसके विरुद्ध चुनाव याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए हैं। (3) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी निर्वाचन याचिकाएँ, जिनमें एक ही निर्वाचक प्रभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन की वैधता प्रश्न में है, उसी सिविल न्यायालय द्वारा सुने जाएंगे। (4) (क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय पाता है कि किसी उम्मीदवार ने निर्वाचन के प्रयोजन से उपधारा (5) के अर्थ में भ्रष्ट आचरण किया है, तो वह निर्वाचन को निरस्त कर देगा और निर्वाचन के प्रयोजन रा्थ उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा और नया निर्वाचन कराया जा सकेगा। 1[(क) यदि ऐसी जांच करने पर सिविल न्यायालय पाता है कि -

(i) अपने निर्वाचन की तारीख को लौटा हुआ उम्मीदवार

निर्वाचित होने के योग्य नहीं था;

[डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

(ii) कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया है; या (iii) चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक लौटे हुए उम्मीदवार से संबंधित है, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा लौटाए गए उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण या अनुचित स्वागत से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। भारत के संविधान या इस अधिनियम के उपबंधों, या इस अधिनियम के किसी नियम या आदेशों का अनुपालन या उल्लंघन करने वाले किसी मत से इनकार या अस्वीकृति या किसी मत का स्वागत या अस्वीकृति, ऐसे लौटाए गए उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा और नया निर्वाचन कराया जा सकता है। (ख) यदि किसी ऐसे मामले में, जिस पर 2 [खंड (क) या खंड (क)] लागू नहीं होता है, किसी निर्वाचन की वैधता दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बीच विवाद में है, तो न्यायालय प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज मतों की संवीक्षा और गणना के पश्चात् उस उम्मीदवार की घोषणा करेगा जिसके पक्ष में सर्वाधिक वैध मत पाए जाते हैं, कर्तव्य

निर्वाचित होना: बशर्ते कि ऐसी गणना के बाद, यदि कोई हो, किसी उम्मीदवार के बीच वोटों की समानता मौजूद पाई जाती है और एक वोट जोड़ने से कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाएगा, तो ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या में एक अतिरिक्त वोट जोड़ा जाएगा, जैसा भी मामला हो, न्यायाधीश की उपस्थिति में लूत द्वारा चुने गए तरीके से चुने गए, जैसा कि वह निर्धारित कर सकता है। (5) ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जिसने भ्रष्ट आचरण किया है- (क) जो किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने या देने से बचने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान विचार की पेशकश करता है या देता है, या व्यक्तिगत लाभ का कोई वादा करता है, या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; (ख) जो किसी व्यक्ति को खड़े होने या न खड़े होने या न होने के लिए प्रेरित करने या चुनाव में उम्मीदवार होने से पीछे हटने या न लेने की दृष्टि से, कोई धन या मूल्यवान विचार प्रदान करता है या देता है या कोई वादा या व्यक्तिगत लाभ रखता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का कोई खतरा रखता है; या **सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर**.

(ग) जो किसी भी मतदाता (स्वयं व्यक्ति, उसके परिवार के सदस्यों या उसके एजेंट

के अलावा) को किसी मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए किसी

वाहन या जहाज को किराए पर लेता है या खरीदता है।

स्पष्टीकरण 1- एक भ्रष्ट आचरण को एक उम्मीदवार द्वारा किया गया माना जाएगा, यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी और सहमति से किया गया है जो चुनाव के संदर्भ में ऐसे उम्मीदवार के

सामान्य या विशेष अधिकार के तहत कार्य कर रहा है।

स्पष्टीकरण 2- "वाहन" शब्द का अर्थ है सड़क

परिवहन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम

किसी भी वाहन का उपयोग यांत्रिक शक्ति या अन्यथा द्वारा किया जाता है, और चाहे अन्य वाहनों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता हो या अन्यथा।

धारा 176 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की अवधि को निर्दिष्ट करती है जिसके भीतर चुनाव याचिका दायर की जानी है। विलंब को माफ करने या सीमा की अवधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. हुकुम डे नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा मामले में, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत एक चुनाव याचिका पर लागू होंगे, पी. जगनमोहन रेड्डी, जे. ने इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए कहा:

"इन प्रावधानों की प्रयोज्यता इसलिए, है, परिसीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं, बल्कि चुनाव याचिकाओं को दायर करने और उनके परीक्षण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों से यह पता लगाने के लिए न्याय किया जाना चाहिए कि क्या यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है जो उस अधिनियम की धारा 29 (2) में उल्लिखित

परिसीमा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के आवेदन को स्वीकार नहीं करता है। इस अदालत ने माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान चुनाव याचिकाओं को दायर करने या उनके परीक्षण को नियंत्रित नहीं करते हैं।

7. चरण लाल साहू बनाम नंदकिशोर भट्ट मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चुनाव को चुनौती देने का कोई सामान्य कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से कानून की शर्तों द्वारा विनियमन का मामला है। अधिकार वैधानिक होने के नाते, क़ानून की शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए। 11974) 2 एससीसी 133 8 (1973) 2 एससीसी 530

सुमन देवी बनाम मनीषा देवी और अन्य।

[डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

8. लछमन दास अरोड़ा बनाम गणेशी लाल मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 (1) के प्रावधानों का अर्थ लगाया, जो चुनाव याचिका दायर करने के लिए 45 दिनों की अवधि निर्धारित करता है। मुख्य न्यायाधीश डॉ एएस आनंद ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहा:

"7, धारा 81 (1) में कहा गया है कि किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका किसी भी

उम्मीदवार द्वारा अधिनियम की धारा 100 और धारा 101 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों

पर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती

है। ऐसा चुनाव या निर्वाचक द्वारा 45 दिनों के भीतर, लेकिन वापस आए उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से पहले नहीं, या यदि चुनाव में एक से अधिक लौटे हुए उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग-अलग हैं, तो उन दो तारीखों के बाद में। अधिनियम एक विशेष संहिता है जो चुनाव याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करती है। भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। जहां तक यह अधिनियम चुनाव विवादों की प्रस्तुति और परीक्षण से संबंधित है, एक

पूर्ण संहिता और एक विशेष कानून है। विशेष कानून की योजना से पता चलता है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यदि चुनाव याचिका

पैंतालीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो अधिनियम की धारा 86 (1),

जो प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय एक चुनाव याचिका को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, सीधे आकर्षित होता है।

9. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 चुनाव याचिकाओं की प्रस्तुति के लिए एक पूर्ण संहिता है। क़ानून ने अनिवार्य किया है कि परिणामों की घोषणा की तारीख के 30 दिनों की अवधि के भीतर एक चुनाव याचिका दायर की जानी चाहिए। इस अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 के प्रावधान को स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाएगा। विधायिका ने एक विशिष्ट प्रावधान किया है, कोई भी चुनाव याचिका जो क़ानून का पालन करने में विफल रहती है, उसे खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों और इस विषय पर अपने स्वयं के दृष्टांतों, दोनों पर ध्यान देने में विफल रहा है, जिसका हमने उल्लेख किया है। पहले प्रतिवादी ने पहली बार में एक चुनाव याचिका दायर की, जिस पर सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत विचारणीयता पर आपत्ति थी। आदेश 7 नियम 11 के तहत आपत्ति का सामना करते हुए, पहले प्रतिवादी ने चुनाव याचिका वापस लेकर उस पर निर्णय टाल दिया। **9 (1999) 8 एससीसी 532**

सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एससीआर द्वारा नई चुनाव याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करने से सीमा की सीमा समाप्त नहीं हो सकती है। पहले प्रतिवादी द्वारा दायर नई चुनाव याचिका 30 दिनों की वैधानिक अवधि से परे थी और इसलिए इसे खारिज किया जा सकता था।

10. तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2017 के आदेश को रद्द करते हैं। हम मानते हैं कि पहले प्रतिवादी द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी जाएगी, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन की अपील स्वीकृत

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2023.10.27 16:04:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court